

प्रारूप-3
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र
एआरटी क्लिनिक (स्तर 1/स्तर 2)/एआरटी बैंक
(दो प्रतियों में जारी किया जाए)

प्रमाण पत्र संख्या:- MP/KHARGONE/ART Level-1 Clinic/No. 01

6. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 16 (1) के अधिनियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित प्राधिकारी कलेक्टर एवं जिला समक्ष एस्सिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं ससुरोगेसी प्राधिकारी जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लिनिक को दिनांक 17.05.2028 को समाप्त होने वाली 05 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।
- (a) एआरटी क्लिनिक का नाम और पता :- रक्षा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, परसाई कॉलोनी सनावद रोड खरगोन म090
- (b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी) :- निजी
- (c) सुविधा का प्रकार : स्तर 1/स्तर 2 :- स्तर 1

या

निम्नलिखित एआरटी बैंक निरंक को समाप्त होने वाली निरंक अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

- (i) एआरटी क्लिनिक का नाम और पता :- निरंक
- (ii) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी) :- निरंक
7. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधिनियमों के अधिनियम प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण होगा।
8. रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित की गई।
9. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण प्रारूप के लिए:
10. रजिस्ट्रीकरण के बहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि 17.05.2023 से 17.05.2028 तक

तारीख :- 12/06/2023

स्थान :- खरगोन



(शिवराज सिंह वानी)
कलेक्टर एवं

जिला समक्ष एस्सिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं
ससुरोगेसी प्राधिकारी जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।

- जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें।